

प्रेषक,

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक .....

विषय :- वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैरयोजना अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना मद में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0007-प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विपत्र कोड संख्या-एन 2202800030007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंकित राशि रू0 92,37,600/- (बेरानवे लाख सैंतीस हजार छः सौ रू0) मात्र आपको संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561(वि0-2), दिनांक-17.04.1998 परिपत्र संख्या 300(वि), दिनांक-08.05.2009 परिपत्र संख्या-423 दिनांक 31.03.2016 एवं 2793 दिनांक-04.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- 3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- 4 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- 5 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
- 6 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
- 7 वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
- 8 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
- 9 कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईएँ का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- 10 मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0बी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
- 11 मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- 12 राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।
- 13 इससे पूर्व का बकाया भुगतान किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,  
ह0/-


निदेशक,(शोध एवं प्रशिक्षण)

ज्ञापांक:- 26

पटना, दिनांक:- 6/5/16

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आशुक्त/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/जिला पदाधिकारी/निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण का कोषांग/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/गार्ड फाईल/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,(शोध एवं प्रशिक्षण)


  
 4/5/16

वित्तीय वर्ष 2016-17 भाग संख्या-21. मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0007-मुख्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विपत्र कोड-एन 2202800030007 में आवंटन।

विवरण

क्र० सं०	मुख्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	भ्रमण भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वर्दी / पोशाक	कुल योग
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
2	मुख्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुसापुर, कटिहार	662000	868000	342000	182000	15000	2069000	148000	82000	8000	2400	2309400
3	मुख्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माधोपट्टी, दरभंगा	662000	868000	342000	182000	15000	2069000	148000	82000	8000	2400	2309400
4	मुख्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मिकी नगर, पंचसमूह	662000	868000	342000	182000	15000	2069000	148000	82000	8000	2400	2309400
	कुल योग-	2648000	3472000	1368000	728000	60000	8276000	592000	328000	32000	9600	9237600

कुल (वेतन एवं भत्ते सहित) का कुल योग 9237600।

निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण  
  
 4/5/16